BANDA POLICE

-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बबेरू पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थो व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.06.2025 को थाना बबेरू पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 05/06.06.2025 कि रात्रि थाना बबेरू अंतर्गत सिमौनी चौकी पुलिस सिमौनी क्षेत्र में गश्त एवं चेकिंग के दौरान सिमौनी धाम आश्रम के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया । पुलिस द्वारा व्यक्ति को पकड़कर चेकिंग की गई तो उसके पास से एक अवैध तमंचा व 02 कारतूस बरामद हुए । इस संबध में थाना कोतवाली बबेरु पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

➢ समर सिंह पुत्र स्व०जगनंदन सिंह निवासी ग्राम पड़री थाना बबेरू जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

❑ मु0अ0सं0- 220/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा ।

अपराधिक इतिहास-

❑ मु0अ0सं0- 127/24 धारा 351(3),352,109,132 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 प्रदीप कुमार(चौकी प्रभारी सिमौनी)
2. कां0 शमशेर बहादुर सिंह
3. कां0अनूप कुमार